न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी (मांगी लाल) आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. 1955
प्रकरण संख्याः 229/2024

1 राजवीर पुत्र सत्येदव जाति ब्राह्मण निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ

2 सरजीत (फौत)

2/1 कमला देवी पत्नी सरजीत जाति ब्राह्मण निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ ,,

2/2 प्रमोद कुमार पुत्र कमला देवी पत्नी सरजीत जाति ब्राह्मण निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ

2/3 मनीष पुत्र कमला देवी पत्नी सरजीत जाति ब्राह्मण निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ

2/4 सुनीता पुत्री कमला देवी पत्नी सरजीत जाति ब्राह्मण निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ

3 विमला पत्नी नौरंगलाल पुत्र सत्यदेव जाति ब्राह्मण निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ

–:प्रार्थीगण

बनाम ,,

1. कलवंत पुत्र गोपीराम जाति ब्राह्मण निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. झमनलाल पुत्र गोपीराम जाति ब्राह्मण निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. शिव कुमार पुत्र गोपीराम जाति ब्राह्मण निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. कृष्ण कुमार पुत्र गोपीराम जाति ब्राह्मण निवासी सरकारी विश्राम गृह के सामने हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ।
5. विजय कुमार पुत्र मुकनाराम जाति ब्राह्मण निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ।

–:अप्रार्थीगण

उपस्थितः–

1 श्रीमती शकुन्तला भाटीवाल – अधिवक्ता प्रार्थीगण ,,

2 श्री राजेन्द्र भूंवाल – अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 ता 3, 5

3 राजपैरोकार

–:**निर्णय**:–

दिनांक :– 21.07.2025

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र जरिये विज्ञ अधिवक्ता श्रीमती शकुन्तला भाटीवाल अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, इस आशय का पेश किया व याचित किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के नाम तहसील हनुमानगढ के चक 5 के.एन.जे. पटवार हलका मक्कासर के खाता सं. 138/135 के प.नं. 109/268 (43) किला नं. 8 ता 20 कुल 3.289 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन रास्ता, प.नं. 110/268 (44) किला नं. 11, 20 कुल 0.506 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन रास्ता कुल तादादी 3.795 हैक्टेयर जिसमें 0.068 गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। सत्यप्रति जमाबन्दी हमराह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। ,,

यह कि प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 2 में दर्ज संयुक्त खाता की कृषि भूमि में प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 1/3 का हक व हिस्सा है। 1/3 हिस्सा अनुसार प्रार्थीगण की कुल 3.795 हैक्टेयर में 1.265 हैक्टेयर अर्थात् 5 बीघा कृषि भूमि का हक व हिस्सा है। शेष कृषि भूमि में 1/3 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 5 का है और 1/3 हिस्सा अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 एवं मृतक गोपीराम की पत्नी श्योकौरी एवं पुत्रीयां शकुन्तला, शीलादेवी, सुमित्रा देवी एवं सरोज देवी के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज है। श्योकोरी की मृत्यु हो चुकी है एवं मृतक गोपीराम की पुत्रीयां शकुन्तला देवी शीलादेवी, सुमित्रा देवी व सरोज का हक व हिस्सा अप्रार्थी सं. 1 ता 4 काश्त करते है। इसलिए फरीकेन पक्षकार नहीं बनाया गया।

यह कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा संयुक्त खाता की कृषि भूमि में अर्सा पूर्व घराघरू बंट्वारा कर लिया गया था। घराघरू बंट्वारा अनुसार प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की कृषि भूमि प.नं. 110/268 के किला नं. 11, 20 एवं प.नं. 109/268 के किला नं. 8 9 10 कुल 1.265 हैक्टेयर संयुक्त रूप से प्राप्त हुई जिसे प्रार्थीगण संयुक्त रूप से काश्त करते है। प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की कृषि भूमि प.नं. 110 /268 के किला नं. 20 में पश्चिम दिशा में रास्ता मंजूर है जो 0.018 हैक्टेयर है। वरवक्त घराघरू बंट्वारा प्रार्थीगण ने रास्ता की जगह के बदले में कोई जगह अप्रार्थीगण से नहीं ली थी क्योंकि प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की कृषि भूमि के किला नं. 20 में प्रार्थीगण ने नलकूप स्थापित कर लिया था और नलकूप स्थापित करने के बाद खाता विभाजन हेतु अप्रार्थीगण से निवेदन किया कि किला नं. 11 व 20 के साथ लगती कृषि भूमि प्रार्थीगण को दे दी जाये ताकि किला नं. 20 में स्थापित नलकूप के पानी का सदुपयोग कर सके लेकिन अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को किला नं. 11 व 20 के साथ लगती भूमि देने से इन्कार कर दिया क्योंकि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त रूप से प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 2 में दर्ज भूमि के अलावा चक 7 जे. आर. के. में भी संयुक्त रूप से कृषि भूमि है जिसमें रास्ता अप्रार्थीगण हेतु प्रार्थीगण ने अपनी भूमि में से अप्रार्थी सं. 1 ता 4 को दिया था और उसके बदले में प्रार्थीगण ने अपने कब्जा काश्त की कृषि भूमि प.नं. 109/268 के किला नं. 16 के उत्तर दिशा में प.नं. 110/268 के किला नं. 20 में स्थापित नलकूप से पाईप लाईन भूमिगत निकालने हेतु सहमति दी थी और किला नं. 13 व 14 अप्रार्थी सं. 5 के है. उसने भी भूमिगत पाईप लाइन निकालने की स्वीकृति दी थी। इस स्वीकृति के बाद प्रार्थीगण द्वारा अपने कब्जा काश्त की प.नं. 110/268 के किला नं. 20 में स्थापित नलकूप से किला नं. 16, 14 व 13 में से भूमिगत पाईप लाइन जलप्रवाह हेतु दबाई थी और इसका आखिरी सीरा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की कृषि भूमि के किला नं. 8 में खुलता था। इस कारण प्रार्थीगण को अपने कब्जा काश्त की 109/268 के किला नं. 8 ता 10 में नलकूप से भूमि सिंचित करने की सुविधा प्राप्त हुई थी और अप्रार्थीगण को चक 7 जे.आर.के. में अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए रास्ता प्रार्थीगण द्वारा दिया गया था। अर्सा करीब 7-8 वर्ष पूर्व उक्त व्यवस्था स्थापित की गई थी।

यह कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की कृषि भूमि में सिंचाई सुविधा प्राप्त करने हेतु दी गई भूमिगत पाईपलाइन की सहमति के बावजूद बार-बार इस पाईपलाइन को वहां से उखाड़ने का प्रयास किया जाता रहा है और इस बाबत पक्षकारान का लड़ाई झगड़ा भी होता है क्योंकि प्रतिवादगण लालचवश प्रार्थीगण की किला नं. 13, 14 व 16 में भूमिगत पाईपलाइन का निशुल्क सदुपयोग स्वयं करना चाहते हैं जबकि प्रार्थीगण द्वारा अपने खर्चे पर किला नं. 20 में नलकूप स्थापित किया गया है और निशुल्क सिंचाई सुवि/ा अप्रार्थीगण को दिये जाने हेतु पाबन्द नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा निशुल्क सिंचाई सुविधा अप्रार्थीगण को देने से इन्कार करने के कारण अप्रार्थीगण प्रार्थीगण पर दबाव व प्रभाव बनाने के लिए

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

मौका पर किला नं. 13. 14 व 16 में भूमिगत पाईपलाइन को उखाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। प्राकृतिक रूप से भूमि में सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है इसलिए प्रार्थीगण अपने किला नं. 20 में स्थापित नलकूप से अपनी प.नं. 109/268 के किला नं. 8 ता 10 भूमि को सिंचित करते हैं जिसके लिए किला नं. 16, 14 व 13 में भूमिगत पाईपलाइन के जरिये जल व्यवस्था चालू है और मौका पर खड़ी फसल /ाान की सिंचाई हो रही है लेकिन अप्रार्थीगण जानबूझकर बदयान्तिपूर्वक प्रार्थीगण की फसल को नुकसान पहुंचाने के आशय से सहमतिपूर्वक भूमिगत पाईपलाइन को उखाड़ने पर आमादा है। इसलिए प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से मिलकर पूर्व में दी गई मौखिक सहमति से अप्रार्थीगण को बार-बार अवगत करवाया लेकिन अप्रार्थीगण दो दिन पूर्व खेत पर आये और नाजायज रूप से पाईपलाइन को उखाड़ने का प्रयास किया। जब प्रार्थीगण को इसका पता चला तो प्रार्थीगण ने मौके पर मौजिज व्यक्तियों के साथ पहुंचकर अप्रार्थीगण को पाईपलाइन उखाड़ने से मना किया तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को /ामकी दी कि पाईप लाइन हमारी कृषि भूमि में है, हम अपनी स्वेच्छा से कभी भी इस पाईपलाइन को उखाड़ सकते है। मौजिज व्यक्तियों की उपस्थिति के कारण उस समय तो अप्रार्थीगण चले गये लेकिन जाते-जाते प्रार्थीगण को धमकी देकर गये कि उक्त पाईपलाइन हमारी जमीन से उखाड़ देंगे। यदि अप्रार्थीगण अपने इस मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई किसी क्षतिपूर्ति से संभव नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण खिलाफ अप्रार्थीगण ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की प्राप्त करने के अधिकारी है कि अप्रार्थीगण चक 5 के.एन.जे. के प.नं. 109/268 के किला नं. 16, 14 व 13 में नलकूप से स्थापित भूमिगत पाईपलाइन को किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त करने व उसको उखाड़ने से निषिद्ध रहें।

यह कि उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है।

यह कि अप्रार्थीगण द्वारा बार-बार प्रार्थीगण की फसल को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है इसलिए प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को इस तथ्य से भी अवगत करवाया कि भूमि का अभी तक विधिवत् बंट्वारा नहीं हुआ है इसलिए भूमि के प्रत्येक ईंच पर प्रत्येक काश्तकार का कब्जा माना जायेगा इसलिए संयुक्त काश्त की कृषि भूमि में रास्ता व जल व्यवस्था हेतु पाईपलाइन की व्यवस्था करना प्रत्येक काश्तकार का अधिकार है। अप्रार्थीगण इस तथ्य से अवगत है लेकिन लालचवश प्रार्थीगण को नुकसान पहुंचाने के आशय से भूमिगत पाईपलाइन को क्षतिग्रस्त करना चाहते है।

अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी किया जावे कि अप्रार्थीगण चक 5 के.एन.जे. तहसील हनुमानगढ़ के प.नं. 109/268 (43) के किला नं. 16, 14 व 13 में नलकूप से स्थापित भूमिगत पाईपलाइन को किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त करने व उसको उखाड़ने से निषिद्ध रहें। ,,

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 3, 5 की ओर से विज्ञ अधिवक्ता अप्रार्थी श्री राजेन्द्र भूंवाल ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किये कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित तथ्यों में उक्त शीर्षक का वादपत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत होना मात्र स्वीकार है लेकिन वाद वादीगण कतई गलत व मिथ्या आधारों पर आधारित होने के कारण खारिज होने योग्य है। ना ही प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है व ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजी विवरण चक 5 केएनजे खाता संख्या 138/135 में 3.795 हैक्टेयर आराजी मय गैरमुमकिन होना स्वीकार है।

उपखण्ड कलक्टर उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित तथ्यों में उक्त आराजी में इस चरण में वर्णितानुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण व दीगर का हिस्सा जमाबंदी में अंकितानुसार होना स्वीकार है। हम अप्रार्थीगण के पास पत्थर नंबर 109/268 (43) किला नंबर 17, 18, 19, 20 में स्थित आराजी कब्ज़ा काश्त में है। हम अप्रार्थीगण के भाई कृष्ण कुमार अप्रार्थी संख्या 4 के पास किला नंबर 17 में 5 बिस्वा व किला नंबर 16 कब्ज़ा काश्त में है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 5 के रूप में विजय कुमार को पक्षकार बनाया है जिसके पास इसी मुरब्बा नं. 43 के किला नंबर 11 से 15 कब्ज़ा काश्त में है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 5 को अनावश्यक रूप से ही इस प्रार्थना पत्र की कार्यवाही को देरीना करने की गर्ज से पक्षकार बनाया है जबकि अप्रार्थी विजय कुमार ने प्रार्थीगण से दुरभिसंधि की हुई है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित तथ्यों में वर्णित आराजी का विभाजन होना स्वीकार नहीं है लेकिन इस आराजी में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संलग्न नक्शा अनुसार ही काश्त करते आ रहे है। आगे वर्णित चरणों में प्रार्थीगण द्वारा किये गये कथन स्वीकार नहीं है बल्कि प्रार्थीगण ने जानबूझकर अप्रार्थी संख्या 4 के कब्ज़ा काश्त की कृषि भूमि के किला नंबर 16 के बीच में से अप्रार्थी संख्या 4 की बिना जानकारी व सहमति के विवाद करने के आशय से पाईप लाईन डाली है जो किसी प्रकार से उचित नहीं है जबकि वे अपने कब्ज़ा काश्त की कृषि भूमि में से पाईप लाईन ले जा सकते थे। इस चरण में आगे वर्णित तथ्यों में पत्थर नंबर 110/268 किला नंबर 20 के पश्चिमी दिशा में 0.018 है0 कृषि भूमि में रास्ता पश्चिमी दिशा में नहीं है बल्कि इस किला के दक्षिणी साईड में पश्चिम से पूर्व जोतराम गोदारा ठेकेदार के द्वारा यह रास्ता मंजूर करवाया गया। आगे वर्णित इस चरण में अंकित कथन मिथ्या अंकित किये है। प्रार्थीगण ने बिना विभाजन करवाये ही यह अनुचित रूप से पाईप दबाई है जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इस चरण में आगे प्रार्थीगण ने चक 7 जेआरके में रास्ता देने के संबंध में जो कथन किये है, वे भी स्वीकार नहीं है बल्कि इस संबंध में कृषि भूमि देकर रास्ता की सुविधा ली गई है लेकिन वहां रास्ता की भूमि में भी अवैधानिक रूप से मिट्टी डालकर उसे अवरूद्ध कर दिया जिसके संबंध में भी इन्हीं प्रार्थीगण के विरूद्ध पुलिस थाना सदर हनुमानगढ़ में मुकदमा किया गया है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 में वर्णित तथ्य भी जिस प्रकार से वर्णित किये गये है, स्वीकार नहीं है। इस पाईप लाईन को डालने में हम अप्रार्थीगण की कोई सहमति नहीं दी गई व ना ही इस प्रकार से अनुचित पाईप डालने का कोई अधिकार प्रार्थीगण को हासिल था जैसा कि उक्त चरण में निवेदन किया जा चुका है कि यह पाईप लाईन प्रार्थीगण अपने कब्ज़ा कात की भूमि में डाल सकते थे लेकिन उन्होनें जानबूझकर बिना सहमति के ही किला नंबर 16 में पाईनप लाईन डाल दी व अनावश्यक रूप से हम अप्रार्थीगण के साथ विवाद चालू कर दिया। ना ही प्रार्थीगण किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 में वर्णित तथ्य स्वीकार नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपरिमेय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। प्रार्थीगण अपने इस अनुचित कृत्य को कतई गलत तथ्य प्रस्तुत कर न्यायालय के आदेश से सरंक्षित करवाना चाहते है जिसकी कानूनन अनुमति नहीं दी जा सकती।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 7 में वर्णित तथ्य भी जिस प्रकार से वर्णित किये गये है, स्वीकार नहीं है जबकि इस संबंध में पूर्व में ही माननीय न्यायालय में वाद लम्बित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र कानूनी रूप से पोषणीय नहीं होने के कारण भी खारिज होने योग्य है अतः जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा, खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी। पत्रावली में मौजूद प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, पंजीबद्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए, विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक व सारभूत समझते हैः-

<u>प्रथम दृष्टया मामला</u>

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

प्रार्थना पत्र में सलंग्न जमाबंदी, प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अभिलिखित सह-काश्तकार है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य चक 5 केएनजे के मु.न. 43 कि.न. 13, 14, 16 में स्थापित भूमिगत पाईपलाइन को लेकर विवाद है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने अंकित किया है कि अप्रार्थीगण की स्वीकृति उपरांत ही उक्त किलों में पाईपलाइन स्थापित की गई थी, लेकिन ऐसी कोई सहमति पत्रावली में मौजूद नहीं है और न ही सक्षम न्यायालय की अनुमति मौजूद है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त आराजी है जिसमें प्रत्येक सहकाश्तकार का प्रत्येक आराजी के हिस्से पर हक है। प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के मध्य एक दावा अंतर्गत शाश्वत व्यादेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

<u>सुविधा का संतुलन</u>

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश जारी नहीं किया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षीगण को।

प्रार्थना पत्र और जवाब प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है यद्यपि उभयपक्ष अभिलिखित काश्तकार है। चूंकि प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है अतः अप्रार्थीगण को असुविधा हो सकती है।

<u>अपूर्णनीय क्षति</u>

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी शतात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में भरपाई नहीं की जा सकती हो।

चूँकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा बाबत शाश्वत आदेश विचाराधीन है और प्रथम दृष्टया मामला और सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी।

अतएवं उक्त बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में इस न्यायालय का अभिमत है कि अप्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति साबित

होने के कारण अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाना विधि संगत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

-:क्रिन्यावित‍ि आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश दिनांक 22.07.2024 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.07.2025 को सरे इजलास सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ